

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 1997 (फाल्गुन 9, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, ईश्वरदास रोहाणी, रमेशचन्द्र शर्मा, सदस्य, भोपाल के पुराना कबाड़खाना क्षेत्र में लूट की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सोबरन सिंह मावई, सदस्य, मुरैना जिले में सुनिश्चित रोजगार योजना की राशि के उपयोग में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा नाले पर भवन का निर्माण होने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री कमल पटेल, मनोहरलाल राठौर, सदस्य, होशंगाबाद जिले के हरदा अनुविभाग में कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जलसंसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले के सुखामस्त ग्रामों में ऋण की वसूली किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, उज्जैन जिले की घटिटा जनपद पंचायत द्वारा अवैध निगुक्तियां किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, रायपुर शहर की बेशकीमती भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री छतराम देवागंन, सदस्य, बिलासपुर जिले के बालीदा विकास खण्ड के कुछ ग्रामों में अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री मोती कश्यप, सदस्य, जबलपुर में अवैध पशुवध होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित
समय

1 घन्टा

3. वर्ष 1997-98 के अनुदान की मांग पर मतदान (क्रमशः)

मांग संख्या 69

नगरीय कल्याण विभाग से संबंधित
व्यय.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

1 घन्टा

श्री जालम सिंह पटेल, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 4 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

5. अशासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि महात्मा गांधी ग्रामोदर विध्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 1 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. अशासकीय संकल्प

(1) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के ऐसे समस्त विकास खण्ड एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल जिनकी जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना अनुसार एक लाख हो गई है, उन्हें तहसील का दर्जा दिया जाय".

(2) श्री सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के सभी तालाब मछली पालन से मुक्त कर सिंचाई हेतु दिये जावे".

(3) श्री बृजमोहन अप्रवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योग कृषि भूमि पर स्थापित न हों".

7. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

(1) दिनांक 19 फरवरी, 1997 को गृह मंत्री से पूछे गये तारंकित प्रश्न संख्या 9 (क्रमांक 309) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री ईश्वरदास रोहाणी, श्री मोती कश्यप, सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 19 फरवरी, 1997 को गृह मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 40 (क्रमांक 1823) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 27 फरवरी, 1997

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा